न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
56 / 2023	दावा 136 LRA	11.10.2023	11.01.2024

राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री तेज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मेघसर तहसील व जिला चूरू
–प्रार्थी–

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू
–अप्रार्थी–

दावा अन्तर्गत धारा 136 LRA

उपस्थित –1. अधिवक्ता हीरालाल मंडार
2. पैरोकार राज

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी गांव मेघसर तहसील व जिला चूरू का स्थाई निवासी है। प्रार्थी के खातेदारी का खेत खसरा नं. 613/72 तादादी 1.0202 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम मेघसर में स्थित है। प्रार्थी का वादगत खेत पैतृक व दादालाई है। प्रार्थी के पिता स्वर्गीय तेज सिंह के स्वर्गवास होने के बाद विरासतन नामान्तरण तस्दीक हुआ था उस समय प्रार्थी का बोलता नाम राजू था। प्रार्थी के घरवाले व मोहल्ले के लोग प्यार से राजू–राजू करते थे। विरासतन नामान्तरण के दौरान सहवन से राजू सिंह पुत्र तेज सिंह राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज हो गया जो एक सहवन व लिपिकीय भूल से हो गया था जबकि प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र तेज सिंह है।

उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में सहवन से प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह के स्थान से राजू सिंह दर्ज हो गया व इसी नाम से राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी वर्तमान में चालू है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड को छोडकर सभी दस्तावेज में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र तेज सिंह के नाम से बने हुए है और यही सही नाम है।

प्रार्थी का आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर विभाग, जन आधार कार्ड, बैंक पास–बुक, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र तेज सिंह ही है व स्वयं के शपथ–पत्र की फोटो प्रति में जो साथ में लगी है उसमें भी यही नाम सही बताया गया है। खसरा नं. 613/72 तादादी 1.0202 हैक्टेयर वाके रोही गांव मेघसर तहसील व जिला चूरू में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र तेज सिंह होना है जो सहवन से राजू सिंह पुत्र तेज सिंह हो गया जो गलत है। इस गलत बने राजस्व रिकॉर्ड के कारण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि से संबंधित सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड रहा है। के.सी.सी. वगैरा भी नहीं बना सकता। इसलिए गलत बने नाम को दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र तेज सिंह राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ताकि प्रार्थी के अधिकारों पर विपरित प्रभाव न पड सके, उचित लाभ से प्रार्थी वंचित न रहे।

प्रार्थना–पत्र निर्धारित [illegible] व क्षेत्राधिकार में पेश है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर [illegible] कृषि भूमि खसरा नं. 613/72 तादादी 1.0202 हैक्टेयर वाके रोही गांव मेघसर तहसील व जिला चूरू की जमाबन्दी में स[illegible] दर्ज राजू सिंह पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:48 IST
Reason: SelfAttested

तेज सिंह के स्थान पर प्रार्थी खातेदार राजेन्द्र सिंह पुत्र तेज सिंह संशोधित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त किया जाकर तहसीलदार को निर्देशित किया जावे कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धार 136 LRA का पेश करने पर पत्रावली मुरतीब हुई। प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्ट्रर होकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये। प्रकरण नाम दुरूस्ती का होने से तहसीलदार, चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार चूरू की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम मेघसर तहसील चूरू के खसरा नं. 613/72 किस्म बारानी तादादी 1.0202 हैक्टेयर राजू सिंह पुत्र तेज सिंह जाति राजपूत निवासी मेघसर के नाम वर्तमान में खातेदारी दर्ज है। राजू सिंह पुत्र तेज सिंह एवं राजेन्द्र सिंह पुत्र तेज सिंह एक ही व्यक्ति है एवं प्रार्थी का सही नाम राजेन्द्र सिंह है। जो राजू सिंह से राजेन्द्र सिंह शुद्ध किया जाना उचित होगा।

तहसीलदार, चूरू ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जांच रिपोर्ट को ही जवाब माना जावें।

प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि चूंकि अप्रार्थी अधिवक्ता जवाब नहीं देना चाहते इसलिए बहस सुनी जावें जिस पर अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई।

वकील उभयपक्ष को सुना जाकर पत्रावली एवं पेश दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी संवत् 2074 रोही ग्राम मेघसर खसरा नं 613/72 में प्रार्थी का नाम राजू सिंह पुत्र तेज सिंह हिस्सा पूर्ण, जाति राजपूत निवासी मेघसर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी का आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर विभाग, जन आधार कार्ड, बैंक पास–बुक, राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र सिंह पुत्र तेज सिंह ही है व स्वयं के शपथ–पत्र की फोटो प्रति में राजेन्द्र सिंह पुत्र तेज सिंह दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थी द्वार प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं पटवारी जांच रिपोर्ट व तहसीलदार, चूरू की अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र उचित प्रतीत होता है। वादगत कृषि भूमि वाके रोही मेघसर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज चला आ रहा है जिसको सही व दस्तावेजों के अनुरूप दर्ज करवाने के लिए प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र पेश किया है तथा इस प्रकार के संशोधन से राज्य सरकार को कोई हानि होने की संभावना नहीं है। साथ ही इस प्रकार के संशोधन से सह–खातेदारों के अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना भी नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजात् में नाम की भिन्नता के कारण प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि से राजस्व संबंधित सरकारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ रहा है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र उचित होने से स्वीकार करने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि ग्राम मेघसर तहसील चूरू के खसरा नं. 613/72 किस्म बारानी तादादी 1.0202 हैक्टेयर राजू सिंह पुत्र तेज सिंह जाति राजपूत निवासी मेघसर के नाम के स्थान पर राजेन्द्र सिंह पुत्र तेज सिंह जाति राजपूत निवासी मेघसर किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार, चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:31:48 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक [illegible] 2024 [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू